न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 19/1983
GCMS NO. : 1983/00001

–: वादी :–

1. डोली बनाम मन्दिर आसन जिलेलाव चैला पुनारावल चैला श्री लालरावलजी कौम नाथ निवासी जिलेलाव आसन तहसील रायपुर जिला– पाली (राज0)

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. रामजीवण पुत्र श्री बंशीलाल
2. रामेश्वरलाल पुत्र रामजीवण जाति– ब्राह्मण निवासी– निमाज तहसील– जैतारण, जिला– पाली (राज0)

दावा अन्तर्गत धारा 88, 183, 187, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, बाबत् घोषणा आराजी, कब्जा जमीन, हर्जाना व स्थाई निषेधाज्ञा

तारीख रजू:– 28.04.1983

उपस्थितः–

1. श्री चावण्डदान बारहठ, श्री एम. एस. पठान, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, श्री डांवरराम चौधरी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

–: निर्णय :– दिनाँकः–28/03/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा आराजी, कब्जा जमीन, हर्जाना व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 183, 187, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा निमाज के चक नम्बर 1 में बेरा रातामुआ व उस पर आयी भूमि निमाज ठिकाने के भूतपूर्व जागीरदार द्वारा काफी वर्षो पहलें जिलेलाव आसन में थानेश्वर शिवजी के मन्दिर के पुजारी को उक्त मन्दिर की व्यवस्था में बख्शीश दिया था उस समय के बेरा रातामुआ पर आई जमीन के खातेदार कृषक थानेश्वर मन्दिर के पुजारी रहे है। उक्त थानेश्वर मंदिर को आसन नाम के शब्द से पुकारा जाता है और उक्त आसन के पुजारी को आयसजी शब्द से सम्बोधित किये जाते है। इस दावा के आगे के पदों में थानेश्वर मन्दिर को आसन समझा जावें और पुजारी को आयसजी माना जावें। राजस्थान सरकार बनने के बाद भूतपूर्व जागीरदारों द्वारा जो खातेदारी रेकर्ड था उसको राजस्थान सरकार के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मिसल बन्दोबस्त तैयार किया गया उसके अनुसार बेरा रातामुआ व उस पर आई जमीन डोली बनाम आसन मौके जिलेलाव चेला श्री सुखरावजी के नाम से खातेदारी रेकर्ड में इन्द्राज किया गया बेरा रातामुआ व उस पर जो जमीन आई हुई है। उसका विवरण निम्न प्रकार से है :–खसरा नम्बर 631 रकबा 12–05 बीघा किस्म चाही अव्वल, खसरा नम्बर 634 रकबा 23–10 बीघा किस्म चाही अव्वल, खसरा नम्बर 634 रकबा 30–15 बीघा किस्म चाही अ[illegible] खसरा नम्बर 636 रकबा 24–09 बीघा किस्म चाही अव्वल कुल [illegible] बीघा इस प्रकार बेरा रातामुआ का खसरा नम्बर [illegible] बीघा तथा उस [illegible] आई आबादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:40 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

भूमि खसरा नम्बर 633 रकबा 01-07 बीघा बीघा है। उक्त भूमियों का खातेदार आसन जिलेलाव का मन्दिर रहा है तथा उसका पुजारी भूमि के व्यवस्थापक आयसजी रहे हैं, नकल जमाबन्दी संवत् 2016 से 2019 की दावा के साथ पेश है। आसन के भूतपूर्व आयसजी की डाकूओं द्वारा संवत् 2010 में हत्या कर दी गई थी, उसके बाद उक्त आसन की व्यवस्था काफी अस्त व्यस्त हो गई थी और उस समय थोड़े समय तक आसन की व्यवस्था श्री मीगम रावल आसन के आयसजी रहे थे और उसको भी कुछ समय बाद उक्त आसन के उत्तराधिकार से वंचित कर श्री अशोक रावल आसन्न के आयसजी बने थे। जो इस आसन की अचल सम्पति आसन से काफी दूर होने के कारण जानकारी नहीं रही थी। उसके बाद आसन के उत्तराधिकारी श्री लालरावल जी हुए जो सन् 1979 तक उक्त आसन के आयसजी रहे और उनके देवलोक हो जाने के बाद वादी इस आसन के आयसजी बने जो आज दिन आसन के मुख्य पुजारी व व्यवस्थापक है और आसन के अधिनस्थ आई सारी चल व अचल सम्पति के एक मात्र आसन की ओर से व्यवस्थापक हैं सरहद मौजा निम्बाज में जो आसन की जमीन आई हुई है उसकी राजस्व रेकर्ड में डोली बनाम आसन जिलेलाव चेला श्री सुखरावलजी कौम नाथ साकिन आसन जिलेलाव के नाम से रेवेन्यू रेकर्ड में इन्द्राज किया हुआ है जिसके सबूत में संवत् 2016 से 2019 की जमाबन्दी व सम्वत् 2014 से 2020 की खसरा गिरदावरी के रेकर्ड से बतौर खातेदार इन्द्राज साबित है इस दावा के साथ सम्वत् 2020 से 2023 की चौसाला जमाबन्दी की नकल पेश है जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 का नाम बतौर खातेदार इन्द्राज बताया गया है और भू धारक के नाम के कॉलम में राजस्थान सरकार का इन्द्राज बताया गया है। सम्वत् 2016 से 2019 व सम्वत् 2020 से 2023 दोनों की जमाबन्दीयों को देखने से ऐसा कोई इन्द्राज नहीं पाया जाता है कि किस प्रकार आसन की डोली की भूमिका खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 बना। इससे स्पष्ट है कि रेवेन्यू रेकर्ड में तब्दीली बिना किसी अधिकार व गलत तरीक से राजस्व विभाग के सम्बन्धित कर्मचारीयों द्वारा की गयी है और इस रेवेन्यू रेकर्ड की रद्दोबदल करनें से प्रतियादी संख्या 1 को वास्तव में कोई कानूनी अधिकार नहीं होते है इस कारण से सम्वत् 2020 में जो जमाबन्दी बनाई गई है व गलत व नजर करनें योग्य है। राजस्थान सरकार के आदेश व रेवेन्यू बोर्ड के बोर्ड के विभिन्न न्याय निर्णयों द्वारा यह स्पष्ट निर्णय दिये गये है कि मूर्ति आयडल व डीटी : के खातेदारी अधिकार स्वयं उस मन्दिर के पुजारी व उसके पुत्रों को कानूनन प्राप्त नहीं होते हैं। प्रतिवादीगण न तो कभी इस मन्दिर के पुजारी रहे तथा न अन्य प्रकार से कोई व्यवस्थापक रहे है फिर में बिना कारण से मूर्ति की खातेदारी हटाकर स्वयं प्रतिवादी सं[illegible] ने पहले तथा पिछले 4 वर्षो से उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 का [illegible] है जिसकी नकलें भी दावा के साथ पेश की जा रही है। ऐसा मूर्ति की खातेदारी में भी रद्दोबदल करने का कानूनी अधिकार किसी राजस्व विभाग के अधिकारी को राजस्थान सरकार द्वारा नहीं दे रखे है जो परिवर्तन खातेदारी में दिया गया है वह गलत फर्जी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

बेयाद है इस कारण काबिल गौर करनें भूमि का तुरन्त कब्जा आसण के आयसजी को सुपुर्द किया जाना न्याय संगत है यदि आयसजी को काबिज नहीं किया जाता है तो आसन की असीम नुकसान होगा ऐसे न्याय संगत मामलों में पुलिस की सहायता दी जाना भी न्याय संगत हैं। वादी न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को आदेश देकर भूमि से बेदखल किया जाना आवश्यक है क्योंकि कमिश्नर लगाने से भूमि की पैदावर का लाभ समुचित तरीके से आसन को नहीं मिलेगा तथा प्रतिवादीगण द्वारा लगातार कानूनी अड़चने पैदा की जाती रहेगी इस कारण से न्याय सगंत यही होगा कि प्रतिवादीगण की कोई फसल खेतों में नहीं है। अगर न्यायालय द्वारा तुरन्त कब्जा नहीं दिया जाता है तो योग्य कमिश्नर नियुक्त कर कब्जा प्रतिवादीगण से तुरन्त प्रतिफल प्राप्त किया जावें। वादी तारीख 15.04.1973 को भूमि का कब्जा लेने गया तब प्रतिवादीगण मारपीट करनें को भी तैयार हुये तथा ऐसी धमकी दी की अगर ज्यादा गड़बड़ की तो भूमि को दूसरों को बेंच दूंगा लेकिन तुम्हारें को कब्जा किसी भी हालत में नहीं करनें दूंगा क्योंकि तुम लोगों ने अपनें नाम पर म्युटेशन करवा लिया तो इससे क्यों तुम इस जमीन के मालिक थोड़े बन गये हो। अभी तो इस भूमि का खातेदार मैं हूं। इस प्रकार इस भूमि पर तुरन्त न्यायालय का कब्जा जरिये रिसीवर किया जाना न्याय संगत है। आसन के आयसजी की खातेदारी में आयी उक्त भूमि पर आसन की ओर से हासल खेती करनें के लिये प्रतिवादी संख्या 1 के परिवार के लोगों को सौंप रखी थी जो निम्नानुसार आसन के आयसजी को हासिल पैदावार का हिस्सा देते रहे थे लेकिन जैसा कि ऊपर दावे के पद संख्या 3 में बताया गया है कि कुछ वर्षो तक आसन की व्यवस्था अव्यवस्थित हो गइ थी और इस कारण के प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिवार के लोगों ने उस समय की अवस्था की आड़ में आसन के आयसजी को मांग देना बन्द कर दिया था और जब वादी के गुरू आसन के आसजी बने और उन्होंने इस सम्बधी जानकारी रेवेन्यू रेकर्ड से की तो उन्हें इस भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 को ही पटवारी हल्का द्वारा बताया गया जिसके कारण से वादी के गुरू के द्वारा भी उस समय इस भूमि का कब्जा व खातेदारी सम्बन्धी विवाद नहीं किया गया। इस प्रकार बतौर अतिक्रमण प्रतिवादी इस भूमि पर काबिज रहा है जबकि वास्तव में दावें के पद संख्या 2 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार के मालिकाना अधिकार व खातेदारी हक हकूक नहीं रखते है और जो इन्द्राज सम्वत् 2020 में और उसके आगे के वर्षो में पाया गया है वह गलत व बेबूनियाद व फर्जी है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 जो प्रतिवादी संख्या 1 का लड़का है उसका इन्द्राज में प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत दर्ज करवा रखा है क्योंकि जब प्रतिवादी संख्या 1 इस भूमि पर किसी प्रकार के खातेदार हक हकूक नहीं हो सकते है तो प्रतिवादी संख्या 2 के भी कानून में कोई भी खातेदारी हक हकूक नहीं बन सकते है। महज सरचार्ज से बचने के लिये प्रतिवादी संख्या 2 का नाम गलत तरीके से रेवेन्यू रेकर्ड में खसरा नम्बर 636 रकबा 23-12 बीघा और खसरा नम्बर 634 रकबा 10 बीघा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

खातेदारी इन्द्राज बताते गये है वह उक्त भूमि सम्बन्धित रेकर्ड गलत व फर्जी है इस प्रकार रेवेन्यू रेकर्ड में प्रतिवादीगण के नामों का इन्द्राज गलत व फर्जी है क्योंकि इस भूमि का वास्तविक खातेदार आसन जिलेलाव के थानेश्वर मन्दिर खातेदार है और इस भूमि की व्यवस्थापक पुजारी आयसजी हैं। उपरोक्त भूमि निम्बाज के चक प्रथम में आयी हुई है जो भूमि बहुत ही उपजाऊ है और बेरा रातामुआ में पानी की कोई कमी नहीं है, इस कारण से साल भर में तीनों ही फसलों की पैदावार इस कुएं की भूमि पर होती है। वादी को इस भूमि की खातेदारी आसन में होनें की जानकारी तारीख 10.02.1983 को पहली बार मालूम पड़ी थी, क्योंकि उक्त भूमि आसन से 60 किलोमीटर की दूरी पर निम्बाज तहसील जैतारण में आयी हुई है, जानकारी मिलने के बाद सम्बन्धित राजस्व अधिकारीयों से इस भूमि की खातेदारी बाबत जानकारी प्राप्त की और उन्होनें राजस्थान सरकार के आदेशानुसार प्रशासन गांवों की ओर से चल रहे अभियान के दौरान कानून व नियमों के अनुसार इस भूमि के खातेदार तारीख 14.02.1982 को वादी के बहैसियत पुजारी आसन के नाम म्युटेशन तहसीलदारजी जैतारण द्वारा स्वीकार किया गया जिस म्युटेशन के बाद जमाबन्दी में इन्द्राज किया गया जिस जमाबन्दी की नकल इस दावे के साथ पेश की जा रही है। जिससे स्पष्ट है कि दावे के पद संख्या 2 में वर्णित भूमि का खातेदार आसन है और आयसजी होने के कारण इसके खातेदार है प्रतिवादीगण से इस म्युटेशन के बाद दिनांक 15.04.1983 की भूमि का कब्जा रबी की फसल निपट जानें के बाद मांगा तो प्रतिवादी ने वादी को कब्जा देने से इन्कार कर दिया और कहा कि वह इस भूमि का खातेदार है प्रतिवादीगण वादी को कब्जा देने के लिये कतई तैयार नहीं है जबकि प्रतिवादीगण शुरु से ही इस भूमि पर अतिक्रमी रहे है जिसकी आसन के आसजी की इजाजत बिना एक दिन में कब्जे में रहनें का कोई अधिकार नहीं है। आसन के खातेदारी में यह बेरा रातामुआ और इस पर आई खातेदारी की भूमि की व्यवस्था की संभालने का एक मात्र अधिकार कानूनन वादी को ही प्राप्त है। वादी अब एक दिन के लिये भी प्रतिवादीगण को भूमि पर काबिज रखना नहीं चाहता है क्योंकि पिछले कई वर्षो से नाजायज व गैरकानूनी तौर से इस भूमि की पैदावार की बदनियती से अपने उपयोग में प्रतिवादीगण ले रहे है जबकि उनका कर्तव्य था कि पैदावार का हासिल फासल का हिस्सा आसन के आयसजी को देते ऐसा न करके प्रतिवादीगण ने भूतपूर्व आयसजी के अनुबन्ध को तोड़ा है जिससे आसन को लाखों रूपयों का नुकसान हुआ है और अब अगर प्रतिवादीगण को काबिज रखे जाते है तो प्रतिवादीगण इस भूमि को आसन की भूमि ना मानकर अपने स्वयं की भूमि मानेगें जिससे पवित्र आसन की व्यवस्था ठीक द्वारा सुचारू रूप से नही चलायी जा सकती ऐसी हालत में आसन को असीम नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी किसी तरह किया जाना संभव नहीं है। ऐसी हालत में दावा घोषणात्मक कब्जा जमीन व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान्जी की सेवा में पेश है। बिनाय दावा तारीख 15.04.1982 को प्रतिवादीगण द्वारा भूमि का कब्जा वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

राजी को सौपने से मना करनें पर स्थान निम्बाज में पैदा हुआ जो दावा हालत हाजा के हक अखत्यार क्षेत्राधिकार व अन्दर म्याद है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जो सामिल मिसल है। प्रतिवादीगण की ओर जवाबदावा पेश किया गया जो सामिल मिसल है तथा प्रतिवादीगण ने जवाबदावा में कथन किया है कि वादपत्र के पद संख्या एक में वर्णित कथन स्वीकार नहीं है। वादपत्र के पद संख्या 02 में आराजी जिस प्रकार से उल्लेखित की गयी है स्वीकार नहीं है इस पद में केवल यही स्वीकार है कि इस पैराग्राफ में लिखी भूमि कुल किता 4 रकबा 91 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता व प्रतिवादी संख्या 2 के दादा बंशीलाल को आयसजी शिवरावल जी चेला शंकररावलजी निवासी ग्राम आसन जिलेलाव जो कि एक जागीरदार था ने शुकराणा के रूप में 700/–रूपयें में अक्षरें सात सौ रूपयें बापी पट्टे पर सम्वत् 1984 मिति चैद सुदी 03 दिनांक 04 अप्रैल 1927 को दे दी थी और यह बापी पट्टा दिनांक 05.04.1927 को हाकिम रजिस्ट्रार जैतारण के यहां पंजीकृत हुआ नकल रजिस्ट्री बापी पट्टा संलग्न है। वादपत्र के पद संख्या 03 में उल्लेखित तथ्य भूतपूर्व आयसजी श्री सुकरावल जी व उसके वारिसान के संबधित है जिसका सीधा संबध दावें से नहीं है परन्तु इस पद में यह तथ्य अस्वीकार है कि पुनारावल जिलेलाव आसन में कोई पुजारी नहीं है क्योकि दावे के पद संख्या एक में उल्लेखित मौजा निमाज के चक नम्बर एक में मेरा रातामुआ व उस पर आई भूमि के मालिक भूतपूर्व जागीरदार के समाधि पर कोई शिव मंदिर नहीं है और केवल जागीरदार की समाधियां है जो कि नाथ सम्प्रदाय की है यहां पर केवल समाधिया ही बनी है इस कारण पुनारावल का पुजारी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वादपत्र के पद संख्या 4 जिस तरह से लिखा गया है स्वीकार नहीं है सम्वत् 2020 की जमाबन्दी सही बनायी गयी है और उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया गया है। वादपत्र के पद संख्या5 स्वीकार नहीं है आयसजी शिवरावल जी की समाधि व उनके पूर्वज गुरुओं एवं उनके उत्तराधिकारियों की समाधियों स्थल पर कोई मंदिर नहीं है केवल यादगार के रूप में समाधियां बनाई गई है और वहां पर कोई मुर्ति नहीं है इस कारंण भूमि मुतनाजा मूर्ति मंदिंर नाबालिग की नहीं होकर जागीरदार आयसजी शिव रावल जी चेला शंकरलाल जी की निजी सम्पति थी जो उन्होनें प्रतिवादी के बुजुर्ग बंशीलाल जी की बापी पट्टे पर दी थी और इसी के आधार पर प्रतिवादीगण भूमि मुतनाजा पर काबिज है और उनका नाम स्वर्गीय बंशीलाल जी के कानूनी उत्तराधिकारी होने के कारण राजस्व रेकर्ड में है और कानूनी रूप से कब्जा काश्त में है और इस कारण उनको बेदखल करनें का सवाल ही पैदा नहीं होता। वादपत्र के पद संख्या 6 एवं 7 का कथन नहीं है। वादी कोई भी हर्जाना प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं है। वादपत्र के पद संख्या 8 स्वीकार नहीं है वादी को प्रतिवादी की खातेदारी के बारे में जानकारी दिनांक 10.02.1983 के बहुत पहलें से थी वादी के नाम प्रशासन गांवों की ओर से चले अभियान में कराये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

नामान्तरकरण अपील प्रतिवादीगण ने उपखण्ड अधिकारी जी जैतारण के यहां की उन्होंने अपील स्वीकार करके नामान्तरण प्रतिवादीगण के नाम करनें के आदेश पारित कर दिये थे बाद में राजस्व मण्डल ने उपखण्ड अधिकारी जी के आदेश दिनांक 27.06.1983 के वादी द्वारा चैलेज करनें पर उन्होनें दिनांक 27.06.1983 के आदेश को अपने आदेश दिनांक 23.09.1988 द्वारा निरस्त करते हुए यह निर्देश दिया कि नामान्तरकरण संख्या 1171 दिनांक 14.02.1983 का अस्तित्व दावे के निर्णय पर निर्भर करेगा इस प्रकार वादी के हक में किया गया नामान्तरकरण संख्या 1171 दिनांक 14.02.1983 प्रतिवादीगण के आधारों पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं डालता और इसी के आधार पर प्रतिवादी को वादी की भूमि मुतनाजा से बेदखल करवाने का अधिकार नहीं है। अतः जवाबदावा प्रस्तुत करके निवेदन है कि इस जवाबदावा के आधार पर वादी का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से लिखित बहस मय न्यायिक दृष्टान्तो की प्रतियां पेश की जिसे शामिल मिसल किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी ने लिखित बहस में यह प्रकट किया कि वादग्रस्त आराजी को निमाज के भूतपूर्व जागीरदार द्वारा जिलेलाव आसण के थानेश्वर शिवजी के मंदिर के पुजारी को उक्त मंदिर की व्यवस्था में बख्शीश में दिया था उस समय से खातेदार उक्त कृषक थानेश्वर मंदिर के पुजारी रहे है। मिसल बन्दोबस्त में सेटलमेंट विभाग द्वारा बेरा राताभुआ व उस पर आई जमीन डोली बनाम आसण वाके जिलेलाव चेला श्री सुखरावलजी के नाम से खातेदारी रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। इनके बाद वादी पुनारावल आसण के आयसजी बने जो आजदिन तक आसण के मुख्य पुजारी व व्यवस्थापक है। वादग्रस्त आराजी की संवत् 2016 से 2019 की जमाबन्दी व संवत् 2014 से 2020 की खसरा गिरदावरी में डोली बनाम आसण जिलेलाव चेला श्री सुखरावली कौम नाथ साकिन आसण जिलेलाव के नाम से रेवेन्यू रिकॉर्ड में इन्द्राज किया हुआ है, जिससे वादी बतौर खातेदार इन्द्राज साबित है। संवत् 2020 से 2023 की चौलासाल जमाबन्दी की नकल में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बतौर खातेदार इन्द्राज बताया गया है लेकिन संवत् 2016 से 2019 व संवत् 2020 से 2023 दोनों की जमाबन्दी को देखने से ऐसा कोई इन्द्राज नही पाया जाता है कि किस प्रकार आसण की डोली की भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 बना, जो गलत फर्जी व बेबूनियाद है, आदि। अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए–

1. राज्य बनाम जेठमल व्यास 1993 आर. [illegible] 702।
2. पेडी बनाम घीसालाल 1971 [illegible]
3. माधो बनाम नन्दलाल 1979 आर. आर. [illegible]7
4. मूर्ति मंदिर श्री रामचन्द्रजी बनाम मुन्नी देवी 1997 आर.आर.डी.-418
5. स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम जवन्ता 2010(1) आर. आर. टी. 127

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम नाथूदास 2010(1) आर आर टी 632

Ramanand &Ors. Vs Thakurji Shri Gopalji Maharaj 2011(2)RRT 1104

8. Ramgopal (LRs)& Ors. Vs Murthi Bade Mathureshji Virajman Patanpole Kota&Ors.

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से लिखित बहस मय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की पूर्णपीठ द्वारा तारा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 की प्रति प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण लिखित बहस में यह प्रकट किया कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी को गलत रूप से मंदिर सम्पति बताकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है जो चलने लायक नही है। इस प्रकरण में विद्यमान विवाद के विषयो का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की पूर्णपीठ द्वारा तारा बनाम राजस्थान राज्य निर्णय दिनांक 15.07.2015 द्वारा अंतिम रूप से निर्णित कर दिया गया है। प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 क्रमशः खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2012 से 2031 व पर्चा खतौनी संवत् 2007 में प्रतिवादी रामजीवण को काश्तकार के रूप में अंकित किया हुआ है। उक्त भूमि डोली बनाम आसण वाके जिलेलाव के नाम से दर्ज थी न कि किसी मंदिर मुर्ति के नाम। जागीरदार जिलेलाव ने इस भूमि के लिए प्रतिवादी के पक्ष में 1927 में बापी पट्टा लिखकर दिया था जिसका हिन्दी अनुवाद प्रदर्श ए 3 है। उक्त बेचाननामा तत्कालीन रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 05.04.1927 को पंजीबद्ध किया गया। यह भूमि मंदिर माफी की भूमि न होकर आसण जिलेलाव जागीरदार की भूमि रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा तारा बनाम राजस्थान राज्य के निर्णय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभाव में आने के समय जो भूमि काश्तकार के खाते में दर्ज थी वह काश्तकार उस भूमि का खातेदार होगा। अतः वाद वादी खारिज योग्य है। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् एवं लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा संगत विधिक प्रावधानो एवं बहस में प्रकट तथ्यो एवं कथनो पर मनन किया तथा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अध्ययन अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्यक निस्तारण हेतू समुचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली का विवाद्यकवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. ***आया सरहद मौजा निमाज में वाके कृषि भूमि खसरा नम्बर 631 रकबा 12 बीघा 12 बीघा 05 बिस्वा किस्म चाही अव्वल, खसरा नम्बर 634 रकबा 23-10 बीघा किस्म चाही अव्वल, खसरा नम्बर 635 रकबा 20-15 बीघा किस्म चाही अव्वल, खसरा नम्बर 636 रकबा 24-04 बीघा किस्म चाही अव्वल, खसरा नम्बर 632 रकबा 00-06 बीघा किस्म*** गैरमुमकिन ***आबादी, खसरा नम्बर 633 रकबा 01-07 बीघा किस्म*** गैरमुमकिन ***कुल खसरा 06 कुल रकबा 92-04 बीघा बेरा***

Signature Not Verified
Digitally Signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

...तामुआ व उसका जाव मूर्ति श्री माहेश्वर वाके मन्दिर आसन जिलेलाव की ...दकाश्त की खातेदारी की कृषि भूमि है ? ***जिम्मे वादी***

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादी की है। वादी द्वारा वादपत्र में यह निवेदन किया गया है कि मौजा निमाज चक प्रथम में बेरा रातामुआ में उस पर आई हुई भूमि निमाज ठिकाने के भूतपूर्व जागीरदार द्वारा काफी वर्षो पहले जिलेलाव आसण के थानेश्वर शिवजी के मंदिर के पुजारी को उक्त मन्दिर की व्यवस्था में बख्शीश दिया था, उस समय के बेरा रातामुआ पर आई जमीन के खातेदार कृषक थानेश्वर मन्दिर के पुजारी रहे है, उक्त थानेश्वर मंदिर को आसन नाम के शब्द से पुकारा जाता है, और उक्त आसन के पुजारी को आयसजी शब्द से सम्बोधित किये जाते है। इस दावा के आगे के पदों में थानेश्वर मन्दिर को आसन समझा जावें और पुजारी को आयसजी माना जावें। राजस्थान सरकार बनने के बाद भूतपूर्व जागीरदारों द्वारा जो खातेदारी रेकर्ड था उसको राजस्थान सरकार के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मिसल बन्दोबस्त तैयार किया गया उसके अनुसार बेरा रातामुआ व उस पर आई जमीन डोली बनाम आसन वाके जिलेलाव चेला श्री सुखरावलजी के नाम से खातेदारी रेकर्ड में इन्द्राज किया गया, उसका विवरण निम्न प्रकार से है :–खसरा नम्बर 631 रकबा 12–05 बीघा किस्म चाही अव्वल, खसरा नम्बर 634 रकबा 23–10 बीघा किस्म चाही अव्वल, खसरा नम्बर 634 रकबा 30–15 बीघा किस्म चाही अव्वल, खसरा नम्बर 636 रकबा 24–09 बीघा किस्म चाही अव्वल कुल खसरा 4 कुल रकबा 91–01 बीघा इसी प्रकार बेरा रातामुआ का खसरा नम्बर 632 रकबा 00–06 बीघा तथा उस पर आई आबादी की भूमि खसरा नम्बर 633 रकबा 01–02 बीघा है। इस प्रकार कुल 6 खसरों में कुल भूमि 91 बीघा 4 बिस्वा है जिसके खातेदार आसन जिलेलाव का मन्दिर रहा है तथा उसका पुजारी भूमि के व्यवस्थापक आयसजी रहे हैं, नकल जमाबन्दी संवत् 2016 से 2019 की दावा के साथ पेश है। वादी इस आसन के आयसजी आज दिन आसन के मुख्य पुजारी व व्यवस्थापक है और आसन के अधिनस्थ आई सारी चल व अचल सम्पति के एक मात्र आसन की ओर से व्यवस्थापक हैं। सरहद मौजा निम्बाज में जो आसन की जमीन आई हुई है उसकी राजस्व रेकर्ड में डोली बनाम आसन जिलेलाव चेला श्री सुखरावलजी कौम नाथ साकिन आसन जिलेलाव के नाम से रेवेन्यू रेकर्ड में इन्द्राज किया हुआ है। जमाबन्दी संवत् 2020 से 2023 में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बतौर खातेदार इन्द्राज बताया गया है। संवत् 2016 से 2019 व संवत् 2020 से 2023 की जमाबन्दी में ऐसा इन्द्राज नहीं [illegible] है कि किस प्रकार आसण की डोली भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार [illegible] रेवेन्यू रिकॉर्ड में बिना किसी अधिकार एवं गलत तरीके से रद्दोबदल किया [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 ने बाद में प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी दर्ज करवा [illegible] अतः आसण जिलेलाव को खातेदार घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

वादी की ओर से वादपत्र में बतौर साक्ष्यवादी मुख्य परीक्षण में नारावल चेला श्री लालरावल कौम नाथ निवासी जिलेलाव आसण तहसील रायपुर जिला पाली का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्लु1, भगवानसिंह पुत्र नवलसिंह जाति रावत निवासी झालियावास पीथा तहसील ब्यावर का साक्ष्य शपथ पी.डब्लु2, खींवसिंह पुत्र लालसिंह रावत निवासी ग्राम कलालिया तहसील रायपुर जिला पाली का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्लु3 एवं भंवरनाथ पुत्र नेपालराम जाति नाथ निवासी निमाज तहसील जैतारण का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्लु4 प्रस्तुत किया। साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत अपने साक्ष्य शपथ पत्र में वादपत्र में उल्लेखित तथ्यो एवं कथनो का समर्थन किया।

साक्षी पुनारावल ने मुख्य परीक्षण में जिरह के दौरान यह स्वीकार किया कि आसण जिलेलाव श्री निगम रावलजी का ठिकाना है, यह सही है कि आसण जिलेलाव ठिकाने की जागीर के रायपुर क्षैत्र के कई गांवो एवं निमाज में खातेदारी जमीने आई हुई है, यह बात भी सही है कि आसण जिलेलाव गांव के जागीरदार अपनी जागीरदारी के आसण पर फसलो की लटाई करते थे, यह भी सही है कि राजस्थान सरकार ने आसणजी को जागीर माना है जो ठिकाने की जागीर कमीश्नर का दस्तावेज प्रदर्श ए–1 है। आसण जिलेलाव के जागीरदार आयसजी शिवरावलली का बेरा रातामुआ था, सेटलमेंट के पहले जवान बंशीलाल उपाध्याय काश्त करते थे। इस बेरे के जागीरदार ने जवान बंशीलाल को जाटा बापी नही की थी। इस बेरे पर जाने का कभी काम नही पड़ा तथा मौके की क्या स्थिति है? मुझे कोई जानकारी नही है। जाटाबापी बाबत् निष्पादित दस्तावेज प्रदर्श ए–2 तथा उसका हिन्दी अनुवाद प्रदर्श ए–3 हो तो मुझे जानकारी नही है। आसण जिलेलाव ठिकाने की लगभग 7000 बीघा जमीन थी। यह बात सही है कि बेरा रातामुआ आसण जिलेलाव ठिकाने के पट्टे का बेरा रहा था। यह कहना गलत है कि वक्त सेटलमेंट खातेदार रामजीवण, बंशीलाल रहे है। मिसल बन्दोबस्त संवत् 2012 से 2031 में खातेदार के कॉलम में रामजीवण पुत्र बंशीलाल कौम ब्राह्मण दर्ज है जो गलत है। पर्चा खतौनी प्रदर्श ए–2 में भी काश्तकार कॉलम में रामजीवण पुत्र बंशीलाल गलत दर्ज है। यह बात सही है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर वर्षो पूर्व से कब्जा रामजीवण वगैरह का रहा है। मुझे इस बाबत् जानकारी नही है कि वादग्रस्त भूमि की मुआवजा राशि जागीरदार ने ले ली है। यह बात सही है कि वादपत्र के प्रस्तुत दस्तावेजात् में थानेश्वरजी के मंदिर का कही पर उल्लेख नही है। मुख्य परीक्षण एवं जिरह के दौरान साक्षी वादी द्वारा दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गए।

वादी साक्षी भगवानसिंह पुत्र [illegible] द्वारा जिरह के दौरान कथन किया कि मै वरिष्ठ अध्यापक [illegible] सेवानिवृत हुआ। मैं आसण जिलेलाव एवं निमाज गांव [illegible]। मेरे मुख्य परीक्षण में निमाज ठाकुर साहब द्वारा बख्सीस करने का उल्लेख किया है, उक्त बख्सीसनामा न तो मैंने कभी देखा और न ही कभी पढा है। आसण जिलेलाव ईश्वर जी महाराज का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:40 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

...ना मठ है जिसके क्षैत्र के कई गांव आये हुये है। आसण जिलेलाव ठिकाने वाले अपने जमीनो की हासिल व लटाई लेते थे। यह बात सही है कि सेटलमेंट के पूर्व से आज तक प्रतिवादीगण का बेरा रातामुआ पर कब्जा काश्त है।

वादी साक्षी खिवसिंह पुत्र लालसिंह रावत द्वारा जिरह के दौरान कथन किया कि वह भारतीय सेना से वर्ष 2007 में सेवानिवृत हुआ। वादग्रस्त भूमि पर मेरी समझ समझाईस से जाना संभव नही हुआ है। यह बात सही है कि सेट्लमेंट पूर्व पश्चात भी प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वजो का कब्जा काश्त है।

वादी साक्षी भंवरनाथ पुत्र नेपालनाथ निवासी निमाज द्वारा दौराने जिरह में कथन किया कि मेरा जन्म ग्राम लाम्बा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर में हुआ है, मैं पिछले 50 वर्षो से ग्राम निमाज में रह रहा हुँ। निमाज ठिकाने के जागीरदार ने वर्षो पूर्व आसण जिलेलाव की वादग्रस्त भूमि बख्शीश में नही देकर तपस्या में दी थी। बेरा रातामुआ बेरा आसण जिलेलाव का बेरा है। वादग्रस्त भूमि को आसण जिलेलाव ने जाटा बापी में दी हो बल्कि भोग में दी है। वादग्रस्त आराजी पर सेटलमेंट के पूर्व या पश्चात कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का है। आसण जिलेलाव बऐतमाम निगम रावलजी जागीरदार में लगभग 7000 बीघा जमीन रही हो तो मुझे मालूम नही।

वादी द्वारा उक्त विवाद्यक के समर्थन में प्रस्तुत लिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2012–2031 ग्राम निमाज के अनुसार वादग्रस्त आराजी में डोली बनाम आसण जिलेलाव चेला सुखरावल तथा काश्तकार के रूप में रामजीवण वल्द बंशीलाल कौम ब्राह्मण साकिन देह अंकित है। प्रदर्श–2 पर्चा खतौनी संवत् 2007 गांव निमाज पट्टा ठिकाना निमाज के कॉलम संख्या 2 नाम काबिज मय वल्दियत कॉमियत सकुनत में डोली बनाम आसण वाके जिलेलाव चेला सुखरावल तथा कॉलम संख्या 3 नाम काश्तकार मय वल्दियत कॉमियत सकुनियत मय किस्म में रामजीवण वल्द बंशीलाल कौम ब्राह्मण साकिन देह काश्तकार दर्ज है, प्रदर्श–3 जमाबन्दी संवत् 2016 से 2019 में भू धारक के रूप में डोली बनाम आसण जिलेलाव चेला सुखरावल तथा काश्तकार के रूप में रामजीवण वल्द बंशीलाल कौम ब्राह्मण साकिन देह अंकित है, प्रदर्श–4 खसरा गिरदावरी संवत् 2016–2017 में कॉलम संख्या 5 में नाम भूमि अधिकारी में रामजीवण वल्द बंशी कौम ब्राह्मण साकिन देह तथा कॉलम संख्या 6 में खुदकाश्त इन्द्राज है, प्रदर्श–5 ग्राम निमाज प्रथम के नामान्तरण संख्या 1171 की प्रति जिसके कॉलम संख्या 9 विशिष्टियो सहित काश्तकार का नाम में डोली बनाम आसण वाके जिलेलाव चेला पूनारावल चेला सुखरावल कौम नाथ तथा काश्तकार रामेश्वरलाल पुत्र रामजीवण तथा रामजीवण पुत्र बंशीलाल कौम ब्राह्मण साकिन देह दर्ज है।

प्रतिवादीगण द्वारा उपर्युक्त विवाद्यक को खण्डित करने के लिए साक्ष्य प्रतिवादी मुख्यपरीक्षण में प्रतिवादी ... का साक्ष्य शपथ पत्र डी. डब्लु.1, घेवरराम पुत्र नेनाराम कुमावत निवासी निमाज तहसील जैतारण का साक्ष्य शपथ पत्र डी.डब्लु.2, मुरलीधर पुत्र पुखराज निवासी निमाज का शपथ पत्र डी.डब्लु.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:48:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

शंकरलाल पुत्र छैलाराम ब्राह्मण निवासी बिरांटिया कला तहसील रायपुर का शपथ पत्र डी.डब्लु.4, एवं मिश्रीलाल उपाध्याय पुत्र बक्सीराम ब्राह्मण निवासी जैतारण का शपथ पत्र डी.डब्लु.5 प्रस्तुत कर दस्तावेज प्रदर्श करवाए। साक्षीगण द्वारा जवाबदावा में अंकित तथ्यो एवं कथनो का समर्थन किया।

साक्षी प्रतिवादी रामजीवण द्वारा मुख्यपरीक्षण में शपथ पथ के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया तथा प्रदर्श ए–1 जागीरदार को राज्य सरकार द्वारा दिए गए मुआवजा के रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, जागीरदार द्वारा जारी बापी पट्टा प्रदर्श ए–2 तथा इसका हिन्दी अनुवाद प्रदर्श ए–3 तथा जागीरदार आसण जिलेलाव द्वारा की गई बेचान रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए–4, आसण जिलेलाव ठिकाने द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त करने की रसीद प्रदर्श ए–5, वादग्रस्त आराजी की खातेदारी जमाबन्दिया क्रमशः प्रदर्श ए–6 लगायत प्रदर्श ए–21, आसण जिलेलाव जागीर की खातेदारी जमीन की खेवट खतौनी कुल पेज–9 व कुल पेज–7 क्रमशः प्रदर्श ए–22 व प्रदर्श ए– 23, सरकार द्वारा आसण जिलेलाव जागीरदार को दिया गया मुआवजा के रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, जिस पर ए से बी आसण जिलेलाव ठिकाने का अंकन है, प्रदर्श ए–24 प्रस्तुत किए। साक्षी प्रतिवादी द्वारा जिरह में यह स्वीकार किया कि बापी पट्टा प्रदर्श ए–2 में खसरा नम्बर का उल्लेख नही है। बेरा रातामुआ का बापी पट्टा सेटलमेंट से पुराना है। बापी पट्टा सुखरावली जागीरदार द्वारा हमें दिया गया। बापी पट्टे का हिन्दी अनुवाद भंवरलाल सोलंकी से मैंने करवाया। यह बात सही है कि प्रदर्श ए–24 में मुआवजा देने का रजिस्टर में वादग्रस्त खसरा नम्बर का उल्लेख नही है। आसण जिलेलाव जागीर में जैतारण, निमाज के अलावा रायपुर क्षैत्र के गांव की जमीने आई हुई है। राज्य सरकार ने जागीरदार को मुआवजा देकर जागीर की जमीने ले ली थी। वादग्रस्त भूमि सेटलमेंट के पूर्व से आज तक डोली की भूमि नही रही है। यह आसण जिलेलाव जागीर की जमीन थी। मैने वर्ष 51, 52 व 53 जागीर जब्त होने के बाद जमीन का हासिल दिया जिसकी लगान रसीदे मेरे पास है।

प्रतिवादी साक्षी घेवरराम पुत्र नेनाराम द्वारा जिरह में यह स्वीकार किया कि देश आजाद हुआ तब महाराज के नाम वादग्रस्त जमीन थी। मै जब नाबालिग था तब थानेश्वर महाराज का नाम नही सुना। बेरा रातामुआ में महादेवजी का मन्दिर मैने नही देखा। मै अनपढ हुॅं। दस्तावेज में क्या लिखा, मुझे नही पता।

प्रतिवादी साक्षी मुरलीधर पुत्र पुखराज द्वारा मुख्यपरीक्षण में प्रस्तुत शपथ पत्र शपथ आयुक्त से हस्ताक्षरित नही होने के कारण उक्त शपथ पत्र को बतौर साक्ष्य स्वीकार नही किया जा सकता। प्रतिवादी साक्षी शंकरलाल पुत्र छैलाराम द्वारा जिरह में स्वीकार किया कि मेरा जन्म [illegible] 2013 में हुआ था। यह जमीन रामजीवण जी महाराज की है [illegible] भी कहते थे कि यह बेरा रामजीवण जी महाराज का है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी साक्षी मिश्रीलाल उपाध्याय पुत्र बक्सीराम द्वारा जिरह में यह स्वीकार किया कि जाटा बापी पट्टा दिनांक 04.04.1927 को करीबन 90–100

त पहले तकमील हुआ था तब मेरा जन्म नही हुआ था। वादग्रस्त जमीन में महादेव का मन्दिर नही है।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–ए1 जागीरदार को राज्य सरकार द्वारा दिए गए मुआवजा के रजिस्टर की प्रमाणित प्रति की प्रविष्टि क्रमांक 396 के अनुसार तहसील रायपुर में आसन जिलेलाव जागीर के रूप में अंकित है तथा मुआवजे के लिए दावेदार के रूप में अंकित श्री निगम रावल को जागीरदार दर्शाया गया है। उक्त जागीर दिनांक 15.09.1957 को जागीर कमीश्नर द्वारा जारी मुआवजा भुगतान कर शासन द्वारा जागीर अधिग्रहण कर ली गई। प्रदर्श–ए2 जागीरदार द्वारा जारी बापी विलेख महाजनी भाषा में अंकित है, जिसका हिन्दी अनुवाद जो कि श्री भंवरलाल सोलंकी सेवानिवृत भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा किया गया जो प्रदर्श–ए3 है के अनुसार *"लिखत 1 जवान वो बंशीलाल सिखवाल जात रा उपाधिया बेटा पोता सैजरामजी वास निमाज वाला ने आयसजी सिवरावल चैला शंकररावल जी रा वाला आसन्न जिलेलाव रा जागीरदार परगने जैतारण वाला कर दियो मौजे निमाज में मारे डोली रो बैरो रातामुआ आसन रो है जिको बैरो था दस बारा भरस सूं काश्त करो हो अब औ भैरो मैं थाने जाटा बापी कर दियो है। जिणरो सुकराना रूपये 701 लेण जाटा बापी कर दियो। यह लिखत दिनांक 05 अप्रैल 1927 मिति चैत सुद 4 मंगलवार सम्वत् 1983 को रजिस्ट्रार बहाकिम जैतारण द्वारा पंजीबद्ध किया गया।"*

प्रदर्श ए–4 जो कि पंजीबद्ध बैचाननामा है जिसे उपपंजीयक जैतारण द्वारा दिनांक 24.03.1960 को पंजीबद्ध किया गया जिसके अनुसार निगम रावल चैला सुखरावल जी जाति आयस(नाथ) साकिन आसन जिलोलाव तहसील रायपुर जिला पाली बहक सब डिवीजन जैतारण के समस्त गांवों के घरबारी समस्त नाथों के मुख्यान आयस द्वारा ग्राम निमाज स्थित पक्का मकान 500 रूपयें में सब डिवीजन जैतारण के घरबारी नाथों के बच्चों के छात्रावास के लिये बैचान किया गया।

प्रदर्श ए–5 जो कि जिला कलक्टर द्वारा संधारित राजस्थान जमीदारान/ बिस्वेदारान और पांतीदारों के मुआवजा वितरण का रजिस्टर है जिसकी प्रविष्टि संख्या 17 के अनुसार भू सम्पदा– आसन जिलोलाव तहसील रायपुर के दावेदार के निगम रावल जो कि जागीरदार के रूप में अंकित है, जिनके भू सम्पदा के मुआवजे का दावा संख्या F(163) है।

ग्राम निमाज प्रथम की वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दीयां क्रमशः प्रदर्श ए–6 सम्वत् 2061 से 2064, प्रदर्श ए–7 सम्वत् 2061 से 2064, प्रदर्श ए–8 सम्वत् 2057 से 2060, प्रदर्श ए–9 सम्वत् 2065 से 2068, प्रदर्श ए–10 सम्वत् 2065 से 2068, प्रदर्श ए–11 सम्वत् 2069 से 2072, प्रदर्श ए–12 सम्वत् 2069 से 2072, प्रदर्श ए–13 सम्वत् 2057 से 2060, प्रदर्श ए–14 सम्वत् 2053 से 2056, प्रदर्श ए–15 सम्वत् 2049 से 2052, प्रदर्श ए–16 सम्वत् 2047 से 2048, प्रदर्श ए–17 सम्वत् 2041 से 2044, प्रदर्श ए–18

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

[सम्]वत् 2036 से 2039, प्रदर्श ए-19 सम्वत् 2032 से 2035, प्रदर्श ए-20 [स]म्वत् 2028 से 2031, प्रदर्श ए-21 सम्वत् 2024 से 2027, के अनुसार रामजीवण वल्द बंशीलाल साकिन देह एवं इसके पश्चात् रामेश्वरलाल पुत्र रामजीवण कौम ब्राह्मण साकिन देह बतौर खातेदार दर्ज है। जो वर्तमान में भी बद्दस्तुर है।

प्रदर्श ए-22 एवं प्रदर्श ए-23 जो कि भू प्रबन्ध से पूर्व एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू होने के पूर्व संधारित भू अभिलेख गांव आसन जिलेलाव तहसील रायपुर जिला पाली की खेवट खतौनी जिसमें कॉलम संख्या 3 में भौक्ता के रूप में आसन जिलोलाव बएतमाम आयस निगम रावल चैला सुखम रावल बतौर जागीरदार है।

प्रदर्श ए-24 के अनुसार जागीरदार को राज्य सरकार द्वारा दिए गए मुआवजा के रजिस्टर की प्रमाणित प्रति की प्रविष्टि क्रमांक 396 के अनुसार तहसील रायपुर में आसन जिलेलाव जागीर के रूप में अंकित है तथा मुआवजे के लिए दावेदार के रूप में अंकित श्री निगम रावल को जागीरदार दर्शाया गया है। उक्त जागीर दिनांक 15.09.1957 को जागीर कमीश्नर द्वारा जारी मुआवजा भुगतान कर शासन द्वारा जागीर अधिग्रहण कर ली गई।

इस प्रकार उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक साक्ष्य तथा वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित भू अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ''आसण जिलोलाव'' जिसे वादी द्वारा वादपत्र में शाश्वत नाबालिग मंदिर मूर्ति आदि नाम से अभिव्यक्त किया है तथा वादी के अनुसार आसण जिलेलाव वस्तुतः शाश्वत नाबालिग देव मंदिर है तथा वादग्रस्त आराजी भू प्रबन्ध पूर्व से शाश्वत नाबालिग आसण जिलोलाव द्वारा धारित रही है। शाश्वत नाबालिग की भूमि अहस्तान्तरणीय होती है तथा इस पर किसी भी रूप में खातेदारी अधिकार सृजित/प्रदत्त नहीं हो सकते। अतः वादी को खातेदार अभिधारी घोषित किया जावे, वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो की आसण जिलोलाव एक शाश्वत नाबालिग देवमंदिर/मूर्ति हो, वही प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तहसील रायपुर जिला पाली की खेवट प्रतिवादी प्रदर्श ए-22 एवं प्रदर्श ए-23 के अनुसार आसण जिलेलाव वस्तुतः रियासत काल में जैतारण परगने का एक जागीरदारी गांव था, जो वर्तमान में पाली जिले की रायपुर तहसील का राजस्व ग्राम है। आसण जिलेलाव जो वस्तुतः नाथ समुदाय की जागीरदारी थी जिसका जागीरदार आयस कहलाता था। प्रतिवादी प्रदर्श ए-1 एवं प्रदर्श ए-24 के अनुसार जागीर कमीश्नर द्वारा पाली जिले के रायपुर तहसील में स्थित आसण जिलोलाव के जागीरदार निगम रावल को जागीर अधिनियम के तहत मुआवजा वितरित किया गया। इससे भी [illegible] है कि आसण जिलेलाव कोई शाश्वत नाबालिग देव मंदिर न होकर एक जागी[र] [illegible] आयस निगम रावल उक्त जागीर का जागीरदार था। उक्त [illegible] एवं जागीरदार द्वारा धारित संपत्तियां जागीर सम्पदा थी। प्रतिवादी प्रदर्श ए-4 जो कि दिनांक 24.03.1960 को उपंपजीयक जैतारण द्वारा पंजीकृत बैचान विलेख है जिसमें विक्रेता निगम रावल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

सुखरावल जी द्वारा स्वयं की जाति "आयस(नाथ)" एवं साकिन "आसन जिलोलाव तहसील रायपुर जिला पाली" अंकित किया है जिससे भी यह स्पष्ट है कि आसण जिलोलाव कोई देव मंदिर या देव मूर्ति न होकर एक गांव है। ग्राम निमाज की वादग्रस्त आराजी की पर्चा खतौनी सम्वत् 2007 जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श-2 है, के कॉलम संख्या 2 नाम काबिज मय कौमीयत वल्दीयत सकुनत के रूप में डोली बनाम आसण वाके जिलोलाव चैला सुखरावल कौम नाथ साकिन जिलोलाव तथा कॉलम संख्या 3 नाम काश्तकार मय वल्दीयत कौमीयत सकुनत के रूप में रामजीवण वल्द बंशीलाल कौम ब्राह्मण साकिन देह काश्तकार दर्ज है, वहीं वादग्रस्त आराजी का बन्दोबस्त विभाग द्वारा पर्चा लगान सम्वत् 2011 से 2031 में डोली बनाम आसण वाके जिलोलाव चैला सुखरावल को बतौर भौक्ता तथा रामजीवण वल्द बंशीलाल कौम ब्राह्मण साकिन देह बतौर कृषक दर्ज किया है। वादग्रस्त आराजी की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2012-2031 जो वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श-1 है, के कॉलम संख्या 3 में डोली बनाम आसण वाके जिलोलाव चैला सुखरावल कौम नाथ साकिन जिलोलाव बतौर भौक्ता तथा कॉलम संख्या 4 में रामजीवण वल्द बंशीलाल कौम ब्राह्मण साकिन देह बतौर उपभौक्ता दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी भू प्रबन्ध पूर्व से ही किसी शाश्वत नाबालिग देव मंदिर/मूर्ति के नाम दर्ज नहीं होकर आसण जिलोलाव के नाम डोली के रूप में दर्ज रही है तथा आसण जिलोलाव इसका भौक्ता रहा है तथा प्रतिवादी रामजीवण पुत्र बंशीलाल भू प्रबन्ध पूर्व से वादग्रस्त आराजी का काबिज अभिलिखित कृषक रहा है। प्रतिवादी प्रदर्श ए-2 व प्रदर्श ए-3 के अनुसार जैतारण परगने की तत्कालिन जागीर आसन जिलेलाव के तत्कालिन जागीरदार आयस जी सिवरावल जी चैला शंकररावल द्वारा ग्राम निमाज स्थित वादग्रस्त आराजी जो कि बैरा रातामुआ के नाम से जाना जाता है की भूमि को पड़ोस के अंकन की विशिष्टियों सहित प्रतिवादी को दिनांक 05 अप्रैल 1927 मिति चैत सुद 4 मंगलवार सम्वत् 1983 को 701 रूपये की राशि प्राप्त कर जाटा बापी कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया।

वादी पुनारावल द्वारा साक्ष्य वादी में बतौर गवाह जिरह में स्वयं द्वारा यह स्वीकार किया है कि आसण जिलेलाव श्री निगम रावल जी का ठिकाना था, तथा आसण जिलेलाव ठिकाने की जागीर के रायपुर क्षैत्र के कई गावों एवं निमाज में खातेदारी जमीन आई हुई थी तथा आसण जिलेलाव गांव के जागीरदार अपनी जागीरदारी के आसण पर फसलों की लटाई करते थे, राजस्थान सरकार ने आसण जी को जागीर माना है। आसण जिलेलाव के जागीरदार आयसजी शिवरावल जी का बैरा रातामुआ था। बेरा रातामुआ आसण जिलेलाव ठिकाने के पट्टा का बेरा रहा था। यह बात सही है कि प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी पर मंदिर का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है।

राजस्थान भू सुधार एवं जागीरदार पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 2 की परिभाषा के अन्तर्गत जागीर भूमि की परिभाषा निम्नानुसार है 2(h) -

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

...gir Land" means any land in which or in relation to which a Jagirdar has rights ...respect of land revenue or any other kind of revenue and includes any land held on any of the tenures specified in the First Schedule.

इस प्रकार उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में वर्णित भूमियां जागीर भूमि के अन्तर्गत आती है, वादग्रस्त आराजी की खतौनी बन्दोबस्त के कॉलम संख्या तीन **''भौक्ता''** का नाम के रूप में ''डोली'' बनाम आसण वाके जिलोलाव एवं कृषक के रूप में रामजीवण वल्द बंशीलाल तथा पर्चा लगान सम्वत् 2011-2031 में भी भौक्ता के रूप में डोली बनाम आसण वाके जिलोलाव तथा कृषक के रूप में रामजीवण वल्द बंशीलाल का नाम दर्ज है। उक्त डोली न तो किसी शाश्वत नाबालिग देव मंदिर/मूर्ति की है तथा न ही ऐसा कोई शाश्वत नाबालिग देव मंदिर/मूर्ति भौक्ता के रूप में है। उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 15- माफी, प्रविष्टि संख्या 23- भौक्ता एवं प्रविष्टि संख्या 38- डोली को जागीर भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है, उक्त अधिनियम के धारा 09 में निम्नानुसार प्रावधान है :- **9.** ***Khatedari rights in jagir lands. - Every tenant in a jagir land who at the commencement of the Act is entered in the revenue records as a Khatedar, patidar, khademdar or under any other description implying that the tenant has heritage and full transferable rights in the tenancy shall continue to have such rights and shall be called a khatedar tenant in respect of such land.***

हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की पूर्णपीठ द्वारा तारा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के प्रकरण में निर्णय दिनांक 15.07.2015, जिसमें कुल 36 प्रकरणों में अन्तरनिहित विधिक प्रश्नों के विनिश्चय हेतु वृहद पीठ का गठन किया गया था, जिसमें हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित निम्न प्रश्न एवं इनके सम्बन्ध में माननीय वृहद पीठ द्वारा पारित विनिश्चय अवलोकनीय हैः-

Question no. (i) Whether the land held in the Jagir. by Hindu Idol(deity) as Dolidar or Muafidar cultivated by a person other than the Shebait/Pujari of the deity or by hired labour or servants engaged by its Shebait/Pujari as a tenant of the deity. Such idol being treated as perpetual minor, will still be regarded as land held in the personal cultivation of the deity of will such land be regarded as held in the tenancy by person cultivating such land as tenant of deity?

Answer :- We decide the question no. (i) in favour of the State and against the Shebait/Pujari claiming the land to be saved by Section ... of the Act of 1952. The land held in jagir by Hindu Idol(deity) as Dolidar or Muafidar cultivated by a person other then the Shebait/Pujari of the deity personally or by hired labour or servants engaged by its

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:15:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ebait/Pujari as a tenant of the deity, shall vest in the state, after the Jagir Act of 1952. The Hindu idol(deity), even if it is treated to be a perpetual minor, could not continue to hold such land. Such land cannot be treated to be in its personal cultivation. A tenant of such land cultivating the land acquired the rights of khatedar of the State. Such land under the tenancy of a person other than Shebait/Pujari of Hindu idol(deity) became khatedar land of such tenant. The name of Hindu idol(deity) from such land had to be expunged from the revenue records with Shebait/Pujari having no righ to claim the land as Khatedar. Consequently, the had no rights to transfer such lands, and alll such transfers have to be treated as null and void, in contravention of the Jagirs Act 1952, and the land under such transfers to be resumed by the State.

इस प्रकार माननीय न्यायालय का उपर्युक्त विनिश्चय हस्तगत प्रकरण में हुबहु चस्पा होता है, जिससे यह स्पष्ट है कि यदि जागीर के अन्तर्गत किसी मूर्ति द्वारा डोलीदार/माफीदार के रूप में धारित भूमि जो पुजारी/सेवायत से भिन्न अन्य व्यक्तियों के काश्त में हो ऐसी भूमियां जागीर अधिनियम 1952 के अन्तर्गत सरकार में निहित हो जाती है, तथा ऐसी भूमियों पर काश्त कर रहा काश्तकार ऐसी भूमियों में खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लेता है। ऐसी भूमियों के भू अभिलेख में से पुजारी/सेवायत सहित मूर्ति का नाम भू अभिलेख से विलोपित किया जावे, ऐसी भूमियों में पुजारी/सेवायत को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

हस्तगत प्रकरण में अव्वल तो भू अभिलेख एवं उपलब्ध दस्तावेजात् से यह साबित नहीं होता है कि वादग्रस्त आराजी कभी शाश्वत नाबालिग देव मूर्ति/मंदिर के नाम दर्ज रही हो। भू अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त आराजी आसन जिलेलाव जो कि परगना जैतारण के अन्तर्गत एक जागीर गांव था जो वर्तमान में पाली जिले की रायपुर तहसील का राजस्व गांव है तथा निगम रावल उक्त जागीर का जागीरदार था। पर्चा खतौनी सम्वत् 2007, पर्चा लगान सम्वत् 2011-2031 तथा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012-2031 में वादग्रस्त आराजी आसण जिलेलाव की डोली के रूप में दर्ज रही, लेकिन यह डोली किसी शाश्वत नाबालिग देव मूर्ति/मंदिर की न होकर जागीरदार को प्राप्त डोली थी जिस पर प्रतिवादी को भू प्रबन्ध पूर्व से बतौर काश्तकार काबिज रहा है तथा तत्कालिन जागीरदार द्वारा वादग्रस्त भूमि को दिनांक 05 [illegible] 1987 मिति चैत सुद 4 मंगलवार सम्वत् 1983 को 701 रूपयें प्रतिफल प्राप्त [illegible] प्रतिवादी रामजीवण को जाटा बापी [illegible] हाकिम जैतारण से पंजीबद्ध विलेख निष्पादित कर कब्जा सुपुर्द कर [illegible] करवाया गया, दोयम वादग्रस्त आराजी जागीरदारी की जागीर भूमि रही है। वादी पुनारावल द्वारा साक्ष्य वादी में बतौर गवाह जिरह में स्वयं द्वारा यह स्वीकार किया है कि आसण जिलेलाव श्री निगम रावल जी का ठिकाना था, तथा आसण जिलेलाव ठिकाने की जागीर के रायपुर क्षैत्र के कई गावों एवं निमाज में खातेदारी जमीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

हुई थी तथा आसण जिलेलाव गांव के जागीरदार अपनी जागीरदारी के आराण फसलों की लटाई करते थे, राजस्थान सरकार ने आसण जी को जागीर माना है। आसण जिलेलाव के जागीरदार आयसजी शिवरावल जी का बैरा रातामुआ था। बेरा रातामुआ आसण जिलेलाव ठिकाने के पट्टा का बेरा रहा था। यह बात सही है कि प्रस्तुत दस्तावेजात् में थानेश्वर जी के मंदिर का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। वादग्रस्त आराजी की खतौनी बन्दोबस्त, पर्चा लगान एवं पर्चा खतौनी में वादी आसण वाके जिलोलाव भौक्ता तथा डोली के रूप में दर्ज रहा है, वही प्रतिवादी उपभोक्ता एवं काश्तकार के रूप में दर्ज है, जो कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 02(h) एवं अनुसूची प्रथम की प्रविष्टि संख्या 15- माफी, प्रविष्टि संख्या 23- भौक्ता एवं प्रविष्टि संख्या 38- डोली के अनुसार वादग्रस्त आराजी जागीर भूमि की श्रेणी में आती है तथा प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में बतौर काश्तकार के रूप में भू प्रबन्ध पूर्व से दर्ज एवं काबिज रहा हैं, तथा राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 09 के अन्तर्गत ऐसा काश्तकार अधिनियम के प्रवर्तन के साथ ही उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार हो चुका था। उपलब्ध दस्तावेजात् से यह साबित नहीं होता है कि वादग्रस्त आराजी कभी भी मूर्ति श्री माहेश्वर वाके मंदिर आसण जिलेलाव की खुदकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि रही हो। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज प्रतिवादी का नाम पूर्णतया विधि संगत एवं सही है। वादी हस्तगत विवाद्यक को साबित करनें में पूर्णतया असफल रहा है तथा प्रतिवादीगण द्वारा इस विवाद्यक को बखूबी खण्डित किया है। अतः यह विवाद्यक विरूद्ध वादी एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. ***आया प्रतिवादीगण मूर्ति माहेश्वर वाके आसन जिलेलाव की कृषि भूमि वाके ग्राम निमाज के खसरा नम्बर 631, 634, 635, 636, 632 व 633 कुल रकबा 92-04 बीघा पर बतौर अतिक्रमी के काबिज है, उन्हें बेदखल करवाकर वादी अपने पुजारी व आसन पुनारावल के कब्जा व अवैध कब्जे के दौरान लगान व हर्जाना प्रस्तुत करनें का अधिकारी?*** ***जिम्मे वादी***

यह विवाद्यक साबित करनें की जिम्मेदारी वादी की थी। पूर्व विवेचित एवं निर्णित विवाद्यक संख्या एक जो कि वादी के विरूद्ध साबित एवं निर्णित हुआ है, के विवेचन से यह भली भांति स्पष्ट है कि प्रतिवादी दिनांक 05 अप्रैल 1927 मिति चैत सुद 4 मंगलवार सम्वत् 1983 से वादग्रस्त आराजी पर विधिक रूप से कब्जा काश्त में रहा हैं, जिसे खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। वादग्रस्त आराजी कभी भी मूर्ति माहेश्वर वाके आसन जिलेलाव के नाम दर्ज नहीं रही है बल्कि उक्त आराजी जैतारण परगने का जागीर गांव आसन जिलेलाव की जागीरदारी भूमि रही है, जिसे प्रतिवादी द्वारा पंजीबद्ध [illegible] से दिनांक दिनांक 05 अप्रैल 1927 मिति चैत सुद 4 मंगलवार [illegible] के तत्कालीन जागीरदार से जाटा बापी पट्टा विलेख द्वारा [illegible] तथा प्रतिवादी भू प्रबन्ध पूर्व से वादग्रस्त आराजी का बतौर काश्तकार दर्ज [illegible] है, जिसे कानूनन राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:40 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व ही राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीरदार पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 09 के अन्तर्गत अधिनियम के प्रवर्तन के साथ ही खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो चुके थे। अतः प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी के रूप में काबिज नहीं है। अतः वादी यह विवाद्यक साबित करनें में पूर्णतया असफल रहा हैं लिहाजा इसे वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. आया मूर्ति श्री महादेव जी वाके आसन जिलेलाव ग्राम निमाज में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 631, 634, 635, 636, 632 व 633 कुल रकबा 92-04 बीघा बेरा रातामुआ व उसका जाव के खातेदार काश्तकार हैं व प्रतिवादी का नाम रॉन्ग एन्ट्री के रूप में दर्ज है, उसे हटाया जाकर मूर्ति भगवान श्री महादेव जी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कराने व घोषित कराने के वादी जिम्मेवार हैं ?

जिम्मे वादी

यह विवाद्यक साबित करनें की जिम्मेदारी वादी की थी। पूर्व विवेचित एवं निर्णित विवाद्यक संख्या एक एवं दो जो कि वादी के विरूद्ध साबित एवं निर्णित हुये है, के विवेचन से यह भली भांति स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी कभी भी मूर्ति श्री महादेव जी वाके आसन जिलेलाव के नाम न तो दर्ज रही है और न ही वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजी मूर्ति श्री महादेव वाके आसन जिलेलाव की खातेदारी भूमि है। वादी यह भी साबित करनें में पूर्णतया असफल रहा है कि वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज प्रतिवादीगण के नाम की प्रविष्टियां किस प्रकार रॉन्ग एन्ट्री के रूप में दर्ज है, जिन्हें विलोपित कर मूर्ति भगवान श्री महादेव जी को खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज किया जावे। विवाद्यक संख्या एक के विवेचन एवं निर्णयन से यह भली भांति स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज प्रतिवादीगण का नाम विधिवत रूप से एवं सही रूप से दर्ज है, जो किसी प्रकार से रोन्ग एन्ट्री नहीं है। प्रतिवादी साक्ष्य में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी साक्ष्य प्रदर्श ए-2 व प्रदर्श ए-3 क्रमशः जागीरदार द्वारा निष्पादित एवं रजिस्ट्रार एवं हाकिम जैतारण से दिनांक 05.04.1927 को पंजीबद्ध जाटा बापी विलेख जो महाजनी भाषा में अंकित है एवं इसके हिन्दी अनुवाद की प्रति, से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का भू प्रबन्ध से पूर्व तत्कालिन जागीरदार द्वारा दिनांक 05 अप्रैल 1927 मिति चैत सुद 4 मंगलवार सम्वत् 1983 को 701 रूपये की प्रतिफल राशि प्राप्त कर प्रतिवादी रामजीवण के पक्ष में जाटा बापी विलेख रजिस्ट्रार एवं हाकिम जैतारण से पंजीबद्ध करवा प्रतिवादी को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था। प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी पर अभिलिखित रूप से सन् 1927 के पूर्व से काबिज है, स्वयं वादी साक्ष्य में प्रस्तुत गवाहों के बयानात् से भी इस की पुष्टि होती है। वादी द्वारा ऐसा कोई भू अभिलेख दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजी कभी भी मूर्ति भगवान

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

देव जी की आराजी नहीं रही हो तथा भू अभिलेख में दर्ज प्रतिवादीगण का नाम एक गलत प्रविष्टि हो। इसके विपरीत वादग्रस्त आराजी पर्चा लगान सम्वत् 2011-2031, पर्चा खतौनी सम्वत् 2007 तथा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012-2031 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण बतौर उपभोक्ता/कृषक/काश्तकार के रूप में तथा आसण वाके जिलोलाव बतौर भौक्ता/डोली के रूप में दर्ज रहा है। प्रदर्श ए-1 एवं प्रदर्श ए-24 जागीर कमीश्नर द्वारा जागीरदारों को वितरीत मुआवजे के रजिस्टर, प्रदर्श ए-22 व प्रदर्श ए-23 गांव आसण जिलोलाव की खेवट के अनुसार आसण जिलोलाव जैतारण परगने के अन्तर्गत एक जागीर थी जिसका जागीरदार आयस निगम रावल चैला सुखमरावल रहा है। प्रदर्श ए-4 जो कि दिनांक 24.03.1960 को उपंपजीयक जैतारण द्वारा पंजीकृत बैचान विलेख है, जिसमें विक्रेता निगम रावल चैला सुखमरावल जी द्वारा स्वयं की जाति "आयस(नाथ)" एवं साकिन "आसन जिलोलाव तहसील रायपुर जिला पाली" अंकित किया है जिससे भी यह स्पष्ट है कि आसण जिलोलाव कोई देव मंदिर या देव मूर्ति न होकर एक जागीर गांव है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 09 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के साथ ही ऐसी जागीर भूमि का काश्तकार सभी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त कर खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा आगामी भू अभिलेख में इसी अनुरूप प्रतिवादीगण बतौर खातेदार दर्ज रहे है जो वर्तमान में भी दर्ज है जिसमें किसी प्रकार की अभिलेखीय या अन्य त्रुटि साबित नहीं होती है। अतः वादी यह विवाद्यक साबित करनें में पूर्णतया असफल रहा है, साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा इस विवाद्यक को भली भांति ना साबित किया है। अतः विवाद्यक विरूद्ध वादी एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

4. आया वादी माफिक वाद के इस्तदुआ अनुसार वाद डिक्री कराने के अधिकारी है?

जिम्मे वादी

यह विवाद्यक साबित करनें की जिम्मेदारी वादी की थी। पूर्व विवेचित एवं निर्णित विवाद्यक संख्या एक, दो एवं तीन जो कि वादी के विरूद्ध साबित एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित हुये है चुंकि वादी के वादपत्र के अनुसार वांछित इस्तदुआ से सम्बधित सभी उपर्युक्त तीनों विवाद्यकों को साबित करनें में वादी पूर्णतया असफल रहा है साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा उपुर्यक्त तीनों विवाद्यकों को भली भांति खण्डित किया है, अतः ऐसी परिस्थिति में निष्कर्षतः वादी माफिक वादपत्र इस्तदुआ अनुसार वाद डिक्री करवानें एवं ऐसी डिक्री प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं है। अतः यह विवाद्यक वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:40 IST
Reason: SelfAttested

आया वाद में विवादित कृषि भूमि मंदिर मूर्ति नहीं होकर आईदा रिड़दरावल की जो प्रतिवादीगण संख्या 01 के पिता व संख्या 02 के दादा बंशीलाल के बापी खातेदार प्राप्त की व निगम रावल चैला सुखरावल से दिनांक 23.03.1960 के विक्रयपत्र से यह जमीन प्राप्त की?

जिम्मे प्रतिवादी

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की थी। पूर्व विवेचित एवं निर्णित विवाद्यक संख्या एक, दो एवं तीन के विवेचन एवं निर्णयन् तथा प्रदर्श ए-2 व प्रदर्श ए-3 क्रमशः जागीरदार द्वारा निष्पादित एवं रजिस्ट्रार एवं हाकिम जैतारण से दिनांक 05.04.1927 को पंजीबद्ध जाटा बापी विलेख जो महाजनी भाषा में अंकित है एवं इसके अनुवाद की प्रति, प्रदर्श ए-4 जो कि पंजीबद्ध बैचाननामा है जिसे उपपंजीयक जैतारण द्वारा दिनांक 24.03.1960 को पंजीबद्ध किया गया जिसमें निगम रावल चैला सुखरावल द्वारा स्वयं को बतौर आसण जिलेलाव का जागीरदार अंकित करते हुये तहसील जैतारण के गांव निम्बाज की आबादी में स्थित पक्के मकान का बैचान किया गया, प्रदर्श ए-22 व प्रदर्श ए-23 तहसील रायपुर ग्राम आसण जिलोलाव की खेवट, पर्चा खतौनी सम्वत् 2007, पर्चा लगान सम्वत् 2011-2031, तथा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012-2031, प्रदर्श ए-1 एवं प्रदर्श ए-24 जागीर कमीश्नर द्वारा जागीरदारों को वितरित मुआवजे का रजिस्टर से यह भली भांति स्पष्ट है कि आसण जिलेलाव वस्तुतः कोई शाश्वत नाबालिग देव मंदिर/मूर्ति नही होकर तहसील रायपुर जिला पाली का एक जागीर गांव था जो वर्तमान में भी एक राजस्व ग्राम है, जिसका तत्कालीन जागीरदार निगम रावल चैला सुखमरावल था, वादग्रस्त आराजी डोली एवं भौक्ता के रूप में आसण वाके जिलेलाव के नाम तथा काश्तकार/कृषक/उपभोक्ता के रूप में प्रतिवादी रामजीवण के नाम भू प्रबन्ध पूर्व से दर्ज रही थी। दिनांक 05.04.1927 को प्रतिवादी रामजीवण द्वारा जागीरदार को 701 रुपये बतौर सुकराणा भुगतान करके स्वयं के पक्ष में जाटा बापी विलेख निष्पादित एवं रजिस्ट्रार एवं हाकिम जैतारण से पंजीबद्ध करवाया। उक्त भूमि जागीरदार की जागीर भूमि होने तथा रामजीवण द्वारा पंजीबद्ध जाटा बापी विलेख प्राप्त करनें एवं स्वयं भू प्रबन्ध पूर्व से बतौर काश्तकार काबिज एवं अभिलिखित होने से रामजीवण को खातेदारी अधिकार विधिवत् रूप से प्राप्त हो चुके थे, अतः यह विवाद्यक इसी अनुरूप प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं विरुद्ध वादी निर्णित किया जाता है।

6. आया दावा मन्दिर के नाम से नहीं करके पुनारावल के नाम से किया हैं जो काबिल चलने के नहीं है?

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:40 IST
Reason: SelfAttested

जिम्मे प्रतिवादी

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की थी। वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी डोली बन्धक मन्दिर आसण जिलेलाव चैला पुनारावल चैला श्रीलाल रावल कौम नाथ निवासी जिलेलाव आसण तहसील रायपुर जिला पाली द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध हस्तगत वाद प्रस्तुत किया गया था, चुंकि

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

वादपत्र पुनारावल द्वारा स्वयं की व्यक्तिगत हैसियत से नहीं कर स्वयं को [illegible]/पुजारी मानते हुये इसी अनुरूप वादपत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे दर्ज करनें एवं विचारण करनें में कोई विधिक वर्जना नहीं है। अतः विवाद्यक प्रतिवादी के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

7. आया दावा म्याद बाहर है? *जिम्मे प्रतिवादी*

यह विवाद्यक साबित करनें की जिम्मेदारी प्रतिवादी की थी। वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 183, 187, एवं 188 के अन्तर्गत वादपत्र प्रस्तुत किया था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसुची के अन्तर्गत खातेदारी अधिकारों की घोषणा अन्तर्गत धारा 88 के वादपत्र के लिये कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है। अतः हस्तगत वाद म्याद बाहर नहीं माना जा सकता, अतः विवाद्यक प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

8. आया वादी के अनुतोष में मन्दिर का पुजारी घोषित कराने की इस्तदुआ की है। जो राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार के बाहर है?

जिम्मे प्रतिवादी

यह विवाद्यक साबित करनें की जिम्मेदारी प्रतिवादी की थी। वादपत्र के पद संख्या 11 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा न्यायालय हाजा से यह इस्तदुआ की है "कि यह घोषित फरमाया जावे की दावे के पद संख्या 02 में वर्णित भूमि के खातेदार आसण जिलेलाव है और उसकी व्यवस्था एवं इस भूमि की व्यवस्था का एकमात्र अधिकार वादी आयसजी/पुजारी बतौर के है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी द्वारा घोषणा की इस्तदुआ में स्वयं के आयस/पुजारी होने की घोषणा भी चाही है। वादी पुनारावल विधिवत रूप से आयस/पुजारी है या नहीं यह एक दीवानी विषय है जिसका विवेचन, विचारण एवं निर्णयन् का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को न होकर सक्षम दीवानी न्यायालय को है। अतः उक्त सीमा तक हस्तगत वादपत्र न्यायालय हाजा विचारण क्षैत्राधिकार से परे है। अतः विवाद्यक भली भांति साबित होने से विरूद्ध वादी एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

9. आया मुतनाजा जागीर आसन जिलेलाव की थी। जो राज्य सरकार द्वारा रिज्युम हो चुकी हैं। मुआवजा राशि जागीरदार को प्रदान कर दी है। वादी प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद नहीं ला सकता। बापी पट्टे जारी होकर खातेदार हो चुके है?

जिम्मे प्रतिवादी

यह विवाद्यक साबित करनें की जिम्मेदारी प्रतिवादी की थी। पूर्व विवेचित एवं निर्णित विवाद्यक संख्या एक, दो, तीन [illegible] के विवेचन एवं अभिव्यक्त प्रदर्श दस्तावेजात् से स्पष्ट है कि [illegible] गांव आसन जिलेलाव की थी, प्रतिवादी रामजीवण द्वारा थी। [illegible] 927 को प्रतिवादी रामजीवण द्वारा जागीरदार को 701 रूपये बतौर सुकराणा [illegible]गतान करके स्वयं के पक्ष में जाटा बापी विलेख निष्पादित एवं रजिस्ट्रार एवं हाकिम जैतारण से पंजीबद्ध करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

वादी रामजीवण वादग्रस्त आराजी भू प्रबन्ध पूर्व से एवं भू प्रबन्ध के दौरान वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में बतौर काश्तकार/कृषक/उपभोक्ता अभिलिखित रहा है तथा राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 09 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के साथ ही जागीर भूमि का काश्तकार सभी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त कर खातेदार काश्तकार हो चुके है। अतः कानूनन प्रतिवादी रामजीवण भी उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के साथ ही खातेदारी अधिकार प्राप्त कर चुका था। अतः यह विवाद्यक भली भांति प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित होने से प्रतिवादी के पक्ष में एवं वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

10. आया राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार हैं। यह भूमि आसनी या मन्दिर की नहीं थी व न ही थानेश्वर महादेव जी का मन्दिर हैं। शिवलिंग ताजे रखे गये हैं। रावल की समाधि है। किसी के पुजारी होने का प्रश्न नहीं हैं?

जिम्मे प्रतिवादी

यह विवाद्यक साबित करनें की जिम्मेदारी प्रतिवादी की थी। वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत वाद में राज्य सरकार से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः प्रकरण में राज्य सरकार को आवश्यक पक्षकार नहीं माना जा सकता है। प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तुत प्रदर्श ए-22 व प्रदर्श ए-23 तहसील रायपुर ग्राम आसण जिलोलाव की खेवट, पर्चा खतौनी सम्वत् 2007, पर्चा लगान सम्वत् 2011-2031, तथा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012-2031, प्रदर्श ए-1 एवं प्रदर्श ए-24 जागीर कमीश्नर द्वारा जागीरदारों को वितरित मुआवजे का रजिस्टर से यह भली भांति स्पष्ट है कि आसण जिलेलाव वस्तुतः कोई शाश्वत नाबालिग देव मंदिर/मूर्ति नही होकर तहसील रायपुर जिला पाली का एक जागीर गांव था जो वर्तमान में भी एक राजस्व ग्राम है, जिसका तत्कालीन जागीरदार निगम रावल चैला सुखमरावल था। अतः वादग्रस्त आराजी कभी भी मंदिर/थानेश्वर महादेव मंदिर या किसी भी अन्य नाम से शाश्वत नाबालिग मंदिर/मूर्ति के नाम या उसके द्वारा धारित नहीं रही है। शिवलिंग रखे गये या नहीं रखे गये साथ किसी कि समाधि है या नहीं है यह वस्तुतः हस्तगत वादपत्र का विचारणीय विषय ही नहीं है। इसी प्रकार कोई पुजारी है या नहीं है या वादी पुनारावल वैध रूप से पुजारी है या नहीं है, हस्तगत वादपत्र के सम्बन्ध में अप्रासंगिक है क्योंकि प्रथम तो पुजारी/पुजारीयों के अधिकार एवं वैधता/अवैधता के सम्बन्ध में विचारण का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है, दोयम हस्तगत वादपत्र में यह विचारणीय विषय ही नहीं है। अतः यह विवाद्यक आंशिक रूप से प्रतिवादीगण के पक्ष में एवं विरूद्ध वादी के निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

आया प्रतिवादी का माकूल कब्जा है व मालिक बन चुका है?

जिम्मे प्रतिवादी

यह विवाद्यक साबित करनें की जिम्मेदारी प्रतिवादी की थी। पूर्व विवेचित एवं निर्णित विवाद्यक संख्या एक, दो, तीन, पांच एवं नौ के विवेचन एवं अभिव्यक्त प्रदर्श दस्तावेजात् से स्पष्ट है कि प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी के वैध रूप से अभिलिखित खातेदार है तथा वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के उपयोग एवं उपभोग में है। अतः यह विवाद्यक प्रतिवादीगण के पक्ष में भली भांति साबित होने से इसे प्रतिवादी के पक्ष में एवं वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

12. आया मिसल बन्दोबस्त में भी थानेश्वर मन्दिर का उल्लेख नहीं है। जागीरदार आईस के है?

जिम्मे प्रतिवादी।

यह विवाद्यक साबित करनें की जिम्मेदारी प्रतिवादी की थी। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2012–2031 ग्राम निमाज के अनुसार वादग्रस्त आराजी में डोली बनाम आसण जिलेलाव चेला सुखरावल तथा काश्तकार के रूप में रामजीवण वल्द बंशीलाल कौम ब्राह्मण साकिन देह अंकित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मिसल बन्दोबस्त में थानेश्वर मंदिर का कोई उल्लेख नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तहसील रायपुर जिला पाली की खेवट प्रतिवादी प्रदर्श ए–22 एवं प्रदर्श ए–23 के अनुसार आसण जिलेलाव वस्तुतः रियासत काल में जैतारण परगने का एक जागीरदारी गांव था, जो वर्तमान में पाली जिले की रायपुर तहसील का राजस्व ग्राम है। आसण जिलेलाव जो वस्तुतः नाथ समुदाय की जागीरदारी थी जिसका जागीरदार आयस कहलाता था। प्रतिवादी प्रदर्श ए–1 एवं प्रदर्श ए–24 के अनुसार जागीर कमीश्नर द्वारा पाली जिले के रायपुर तहसील में स्थित आसण जिलोलाव के जागीरदार निगम रावल को जागीर अधिनियम के तहत मुआवजा वितरित किया गया। इससे भी यह स्पष्ट है कि आसण जिलेलाव कोई शाश्वत नाबालिग देव मंदिर न होकर एक जागीर थी तथा आयस निगम रावल उक्त जागीर का जागीरदार था। उक्त जागीर के अधीन एवं जागीरदार द्वारा धारित संपत्तियां जागीर. सम्पदा थी। प्रतिवादी प्रदर्श ए–4 जो कि दिनांक 24.03.1960 को उपंपजीयक जैतारण द्वारा पंजीकृत बैचान विलेख है जिसमें विक्रेता निगम रावल चैला सुखरावल जी द्वारा स्वयं की जाति ''आयस(नाथ)'' एवं साकिन ''आसन जिलोलाव तहसील रायपुर जिला पाली'' अंकित करते हुये स्वयं को आसण जिलेलाव का जागीरदार दर्शाया है। अतः यह भली भांति साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी किसी शाश्वत नाबालिग थानेश्वर मंदिर या अन्य किसी देव मंदिर/देव मूर्ति की न होकर आसण जिलेलाव जागीर के जागीरदार आयस की थी। अतः यह विवाद्यक प्रतिवादी के पक्ष में एवं विरूद्ध वादी निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:40 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त विवाद्यकवार विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादी वादपत्र को भली भांति साबित करनें पूर्णतया असफल रहा है तथा प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्यों से यह बखूबी साबित किया है कि वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

अर्जी में बतौर खातेदार दर्ज उनके नाम की प्रविष्टियाँ पूर्णतया विधि संगत एवं उचित है, तथा प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के वैध रूप से खातेदार अभिधारी है। अतः हस्तगत वादपत्र खारिज/अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा 88, 183, 187, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। वादपत्र इसी मुताबिक बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी डिक्री किया जाता है, पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/03/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:40 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 19/1983
GCMS No. : 1983/00001

-: वादी :-	बनाम	-: प्रतिवादीगण :-
1. डोली बनाम मन्दिर आसन जिलेलाव चैला पुनारावल चैला श्री लालरावलजी कौम नाथ निवासी जिलेलाव आसन तहसील रायपुर जिला- पाली (राज0)		1. रामजीवण पुत्र श्री बंशीलाल 2. रामेश्वरलाल पुत्र रामजीवण जाति- ब्राह्मण निवासी- निमाज तहसील- जैतारण, जिला- पाली (राज0)

राजस्व वाद बाबतघोषणा मु0न0 :- रा0वा0 स0: 19/1983
अन्तर्गत धारा 88, 183, 187, एवं 188 निर्णय एवं डिक्री दिनांक : 28.03.2022
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....-........ व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा 88, 183, 187, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। वादपत्र इसी मुताबिक बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी डिक्री किया जाता हैं, पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुये दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **28/03/2022** को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	06-00	स्टाम्प वकालतनामा	06-00
स्टाम्प वकालतनामा	13-00	स्टाम्प अर्जी	01-00
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02-00	फीस कमीशनर	/
फीस कमीशनर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुतफर्रिक	
मिजानः- मिजानः-	21-00		07-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:45:40 IST
Reason: SelfAttested